

Sponsored by Department of Consumer Affairs, Govt. of India

# CONSUMER BULLETIN

## आधार- क्यों और कैसे

### आधार क्या हैं?

आधार एक भारतीय विशिष्ट पहचान नंबर है, जो की UIDAI द्वारा जारी किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है हर भारतीय को अपनी एक विशिष्ट पहचान देना। आधार 12 अंको का एक नंबर है जो की हर नागरिक को अलग अलग दिया जायेगा। आधार, सभी उम्र के लोगो के लिये है (बच्चो के लिये भी)। इसका मुख्य उद्देश्य है सब को एक पहचान देना। आधार के लिये व्यक्ति के निवास की जानकारी तथा उसकी जानकारी (तस्वीर, आईरिस स्केन, उंगलियों के निशान) एकत्र किया जाता है, जो की एक डाटाबेस में जमा कर लिया जाता है। आधार नंबर हमेशा के लिये मान्य है, इसे समय समय पर बदलने की जरूरत नहीं है।



### आधार क्यों जरूरी हैं?

- आधार नंबर के जरिये आप बैंक में अपना खाता आसानी से खुलवा सकते हैं।
- सरकारी सुविधाओ के लिये आधार नंबर आवश्यक है।
- आधार नंबर का इस्तेमाल पहचान पत्र, पासपोर्ट, लाइसेंस, नया मोबाइल कनेक्शन, नया गैस कनेक्शन इत्यादि बनाने के लिये भी किया जा सकता है।
- कैश ट्रान्सफर सब्सिडी (cash transfer subsidy) में भी इसे आवश्यक दस्तावेज माना है।
- रेल व हवाई यात्री को आधार पहचान पत्र के रूप में प्रयोग कर सकते हैं।
- ज़मीन-जायदाद के रेजिस्ट्रेशन के लिये भी इसे जरूरी कर दिया गया है।
- नवजात शिशु का भी आधार कार्ड बन सकता है। नवजात शिशु के मामले में बाइयमिटीक की जरूरत 5 साल की उम्र के बाद पड़ती है।
- इसके जरिये वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी आसन हो जायेगी।

### आधार के लिये क्या करें?

आधार नंबर पाने के लिये आप को आधार केन्द्र से एक फॉर्म लेकर भरना होगा। यह फॉर्म निशुल्क प्राप्त होगा, फॉर्म को भरने के बाद उसके साथ आप को कोई भी आयु, जन्म-तारीख साबित करने वाले किसी दस्तावेज जैसे की राशन कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र, पेन-कार्ड, इत्यादि में से किसी एक की फोटो कोपी लेकर आधार केन्द्र में जाना होगा। वहाँ उसे जमा करना होगा। वही आपकी बाइयमिटीक जानकारी ले ली जायेगी। आधार नंबर 60-90 दिन के अंदर आप तक डाक द्वारा आप को मिल जाना चाहिये।

Vol. 1, NO. 7, OCT. 2012

### Editor-in-Chief

Prof. Suresh Misra  
( Project Director)

### Editor

Shri S. K. Virmani  
( Project Manager)

### STATE CONSUMER HELPLINES

#### GUJARAT

1800-233-0222,  
079-27489945 / 46

#### MADHYA PRADESH

155343, 0755-2559778

#### ORISSA

1800-345-6724,  
1800-345-6760,  
0674-2351990,  
0674-2350209

#### TAMIL NADU

044-28592828

#### BIHAR

1800 -345- 6188

#### RAJASTHAN

1800 -180- 6030

#### MAHARASHTRA

1800 -22- 22 62

#### FSSAI

1800 -11- 2100

### PROJECT MANAGER

Room No-7 Indian Institute of Public Administration , I.P. Estate , Ring Road , New Delhi- 110002

Phone - (011) 23705055 , 23705054 , FAX - (011) 23705054

Email - schkrmp.iipa@gmail.com , Website - www.consumereducation.in, www.consumeradvice.in

## GUJARAT

1800-233-0222,  
079-27489945 / 46

## MADHYA PRADESH

155343, 0755-2559778

## ORISSA

1800-345-6724,  
1800-345-6760,  
0674-2351990,  
0674-2350209

## TAMIL NADU

044-28592828

## BIHAR

1800 -345- 6188

## RAJASTHAN

1800 -180- 6030

## MAHARASHTRA

1800 -22- 22 62

## FSSAI

1800 -11- 2100



## कैसे चेक करे आधार का स्टेटस

आप दिये गये लिंक पर जा कर अपना आधार स्टेटस जान सकते हैं:-

<http://uidai.gov.in/check-your-aadhaar-status.html>

<http://services.ptcmysore.gov.in/Speednettracking/Track/UIDTrack.aspx>

यहाँ पर आप को आपने स्लीप से 14 अंको की सांख्या डालनी होगी तथा उसी के साथ आप को वो तारीख व समय डालना होगा जब आप ने अपना Registration कराया था। जैसा की आप को नीचे दिखाया जा रहा है:

Enter the Enrolment Number:

(1234/12345/12345)

Enter the Enrolment Date

(dd/mm/yyyy hh:mm:ss)

## कहाँ शिकायत करें?

कोई भी नागरिक जो नामांकन कराता है, को नामांकन संख्या के साथ एक मुद्रित पावती फार्म (Printed Acknowledgement Form) दिया जाता है, जिसके द्वारा नागरिक संपर्क केन्द्र पर किसी भी संचार माध्यम का उपयोग कर अपने नामांकन की स्थिति के बारे में पूछताछ कर सकता है।


Toll Free Number- 1800-180-1947

Fax- 080- 2353 1947

Address- PO Box 1947, GPO Bangalore - 560001

Email - help@uidai.gov.in

## The Law of Limitations



*“The Law of limitation calls for explanation for each day delay after expiry of period of limitation, an explanation for delay has to be rational, reasonable and realistic and to be acceptable. Delay in official procedure is no exception provided in the provision given under Section 15 of the Consumer Protection Act which provides for limitation”.* State Consumer Dispute Redressal Commission, Delhi in a Case No. **FA-04/11** arising from the order dated 06.05.2010 passed by District Consumer Forum in complaint Case No. **860/08** rejected

the application for condonation of delay and hence the appeal filed by the Appellant Bank HDFC stands dismissed as barred by limitation. The Appellant admitted in the Appeal a delay of 224 days and submitted that *“The filing of the said petition got delayed by 224 days for the reasons beyond the control of the petitioner bank for approval and the in the course of approval, the present appeal was sent to the legal department of the appellant bank and thereafter the same was sent to the high officials of the bank for their consideration and approval and in course of the same the present appeal got delayed by 224 days”.*

*“The only reason given for the delay is on account of some department internal problems. This reason does not provide any justified ground for condonation of such a long delay in filing the appeal”.*

## PROJECT MANAGER

Room No-7 Indian Institute of Public Administration , I.P. Estate , Ring Road , New Delhi- 110002

Phone - (011) 23705055 , 23705054 , FAX - (011) 23705054

Email - schkrmp.iipa@gmail.com , Website - www.consumereducation.in, www.consumeradvice.in